आरटीएस का व्यापक इस्तेमाल हो पटना, जागरण ब्यूरो : जिलाधिकारियों, प्रमंडलीय आयुक्तों व विभागीय अधिकारियों की बैठक में सेवा का अधिकार कानून (आरटीएस) छाया रहा। संवाद में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव नवीन कुमार ने कहा कि जनहित में इसका व्यापक इस्तेमाल होना चाहिए। इससे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण में मदद मिलेगी। प्रधान सचिव (कैबिनेट) रविकांत के मुताबिक बैठक में मूलत: क्षेत्र और विभागों के बीच आने वाली समस्याओं और समन्वय पर बातचीत होती रही। योजनाओं को लेकर जिले और विभाग के बीच होने वाली शंकाओं का समाधान किया गया। लोकसेवा के अधिकार कानून पर खासी चर्चा हुई। जिलाधिकारियों से इसका रेस्पांस जाना गया। उनसे पूछा गया कि इसके क्रियान्वयन में कोई परेशानी तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो उसे तत्काल दूर कर लिया जाये। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता के लिए हथियार की तरह है। समय पर काम होने से जनता को राहत मिलेगी। बैठक में नये ट्रेजरी कोड और उससे होने वाली कुछ समस्याओं पर भी विमर्श हुआ, समाधान बताया गया। बैठक में कृषि, योजना एवं विकास, स्वास्थ्य, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, सामान्य प्रशासन, वित्त, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, ग्रामीण कार्य, आपदा, श्रम एवं परिवहन विभाग पर चर्चा चलती रही। आज इसी से जुड़े सवालों का सिलसिला चलता रहा। बैठक में विकास आयुक्त सहित विभागों के सचिव व प्रधान सचिव मौजूद थे।

निजता नीति | सेवा की शर्तें | आपके सुझाव
इस पृष्ठ की सामग्री जागरण प्रकाशन लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई है
कॉपीराइट © 2007 याहू वेब सर्विसेज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित
कॉपीराइट / IP नीति